



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ 1941 (श10)

(सं0 पटना 715) पटना, वृहस्पतिवार, 20 जून 2019

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

14 जून 2019

सं० 6/एन-13-02/2014 -735(6)—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन उपचर्या शिक्षण संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**— (1) यह नियमावली "बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ।**— जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-
 - 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
 - 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग;
 - 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार से मान्यता प्राप्त संस्थान; तथा
 - 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. संवर्ग का गठन एवं संरचना।— (1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय-समय पर अवधारित करें।

(2) उपचर्या प्रशिक्षण विद्यालय/संस्थान तथा उपचर्या निदेशालय के निम्नलिखित पद इस संवर्ग में शामिल होंगे:-

(क) ट्यूटर	—	मूल कोटि।
(ख) प्राचार्य एवं समकक्ष	—	प्रथम सोपान।
(ग) उप निदेशक, नर्सिंग	—	द्वितीय सोपान।
(घ) संयुक्त निदेशक, नर्सिंग	—	तृतीय सोपान।

4. **भर्ती**।— इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी।

5. **अर्हताएँ**।— (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि की एम0एस-सी0, नर्सिंग या बी0एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) कोर्स या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन(डी0एन0ई0ए0) कोर्स में उत्तीर्णता के साथ दो वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार विनिश्चय की जाय;

परन्तु, यह कि संविदा के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में नियुक्त एवं कार्यरत बहन ट्यूटर/ट्यूटर को उपनियम (1) में निर्धारित अर्हताएँ रहने पर, नियुक्ति में अवसर देने के प्रयोजनार्थ, विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा में, समय-समय पर छूट दी जा सकेगी।

(3) संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण के प्रयोजनार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

6. **भर्ती की प्रक्रिया**।— (1) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा—

(क)	बी0एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी0एन0ई0ए0 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	—	60 अंक
(ख)	एम0एस-सी0 नर्सिंग के लिए	—	15 अंक
(ग)	बहन ट्यूटर/ट्यूटर के रूप में बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूल/संस्थान में शैक्षणिक अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	—	25 अंक

कुल — 100 अंक

स्पष्टीकरण— बी0एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी0एन0ई0ए0 कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

नोट— परन्तु, यह कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व पोस्ट बेसिक बी0एस-सी0, नर्सिंग कोर्स प्रशिक्षण करने हेतु भेजे गए स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' को उक्त कोर्स में उत्तीर्णता प्राप्त रहने पर इच्छुक कर्मियों को वन टाइम मेजर के तहत बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग के मूल कोटि, ट्यूटर के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(3) उपनियम-(2) के आधार पर मेधा-सूची तैयार करने के पश्चात आयोग द्वारा अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अन्तिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर प्रमाणपत्रों की जाँच आदि के पश्चात, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

7. **परिवीक्षा अवधि**।— नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसी ट्यूटर को सेवामुक्त कर सकेगा।

8. **प्रशिक्षण**।— परिवीक्षा अवधि में ट्यूटर को ऐसे प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

9. **विभागीय परीक्षा**।— ट्यूटर को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

10. सम्पुष्टि।— परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ट्यूटर की सेवा को सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

11. वरीयता।— ट्यूटर की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अन्तिम रूप से तैयार मेधा-सूची के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

12. प्रोन्नति।— (1) सेवा में सम्पुष्ट ट्यूटर को कम-से-कम दस वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो जाने पर, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर, ट्यूटर के पद से प्राचार्य एवं समकक्ष के अगले पद सोपान के पद पर प्रोन्नति विचारणीय हो सकेगी।

स्पष्टीकरण:— सहायक निदेशक (नर्सिंग) एवं रजिस्ट्रार के पद प्राचार्य के पद के समकक्षीय पद होंगे :

परन्तु यह कि आवश्यकतानुसार, एम0एस-सी0 नर्सिंग उत्तीर्ण (तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति अथवा बी0एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) उत्तीर्ण (पाँच वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति को प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा पार्श्विक नियुक्ति की जा सकेगी। पार्श्विक नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया नियम-6(2) में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इस प्रक्रिया द्वारा नियुक्त प्राचार्य पर नियम-7, 8, 9 एवं 10 लागू होंगे।

(2) उप निदेशक, नर्सिंग— इस पद को प्राचार्य एवं समकक्ष के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(3) संयुक्त निदेशक, नर्सिंग — इस पद को उप निदेशक, नर्सिंग के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(4) उप निदेशक, नर्सिंग एवं संयुक्त निदेशक, नर्सिंग के पदों पर प्रोन्नति पर विचारार्थ, सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा कालावधि संबंधी, समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(5) प्रोन्नति पर विचार करते समय सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, प्रोन्नति संबंधी, चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि संबंधी निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(6) नर्सिंग संवर्ग के सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पदों पर जबतक नियमित पदस्थापना/प्रोन्नति नहीं होती है तब तक प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति कर पदों को भरा जा सकेगा, जिसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानेदय दिया जायेगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति।— (1) प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति वही होगी, जो सेवा विभागों के लिए सरकार द्वारा गठित है;

परन्तु यह कि संवर्ग के अधिकतम ग्रेड-पे/पे-लेवल में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे।

14. आरक्षण।— सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

16. अवशिष्ट मामले।— इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

17. शंका का निराकरण।— यदि इस नियमावली के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन के संबंध में कोई सशय हो तो उसे विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

18. कठिनाई का निराकरण।— यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण करने हेतु ऐसा आदेश, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् निर्गत कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन हो।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 तथा बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016, एतद्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित की जाती है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेंगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट

[नियम 2 (vii), 3, 12, 13 द्रष्टव्य]
बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग का पदसोपान

क्र० सं०	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या पदस्थापन या प्रोन्नति द्वारा	शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / कालावधि	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	ट्यूटूर	सीधी भर्ती द्वारा	एम०एस-सी नर्सिंग या बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक / पोस्ट बेसिक) या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन(डी० एन०ई०ए०) कोर्स में उत्तीर्णता के साथ दो वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव।	
2	प्रथम सोपान	प्राचार्य एवं समकक्ष	प्रोन्नति द्वारा	कम-से-कम दस वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक।	आवश्यकतानुसार, एम०एस-सी० नर्सिंग उत्तीर्ण (तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति अथवा बी०एस-सी०नर्सिंग (बेसिक / पोस्ट बेसिक) उत्तीर्ण (पाँच वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति को प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा पार्श्विक नियुक्ति की जा सकेगी। पार्श्विक नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया नियम-6(2) में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इस प्रक्रिया द्वारा नियुक्त प्राचार्य पर नियम-7, 8, 9 एवं 10 भी लागू होंगे।
3	द्वितीय सोपान	उप निदेशक, नर्सिंग	प्रोन्नति द्वारा	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि।	
4	तृतीय सोपान	संयुक्त निदेशक, नर्सिंग	प्रोन्नति द्वारा	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि।	

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड, ग्रेड-पे एवं पे-लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

14 जून 2019

सं० 6/एन-13-02/2014 -736(6) अधिसूचना संख्या-735(6) दिनांक 14 जून 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 14th June 2019

No 6-N-13-02/2014-735(6)—In exercise of powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment, promotion and service conditions in the Nursing Teaching Cadre under the Health Department :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the “Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2019.”

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in official gazette.

2. Definitions.- In these Rules, unless otherwise required in the subject or context-

(i) ‘Government’ means Bihar State Government;

(ii) ‘Department’ means Health Department;

(iii) ‘Appointing Authority’ means State Government of Bihar;

(iv) ‘Commission’ means Bihar Technical Service Commission;

(v) ‘Cadre’ means Bihar Nursing Teaching Cadre;

(vi) ‘Recognized Institutions’ means the institution recognized by the Indian Nursing Council, New Delhi/Health Department, Bihar, Patna; and

(vii) ‘Appendix’ means appendix appended to these Rules.

3. Constitution & Structure of the cadre.- (1) This cadre shall be State Level. In this cadre, the number of posts in each grade shall be such as may be sanctioned by the government, from time to time:

(2) The following posts of Nursing Training Schools/ Institutions and Nursing Directorate will be included in this cadre-

(a) Tutor	-	Basic Grade
(b) Principal and equivalent	-	First Chain
(c) Deputy Director, Nursing	-	Second Chain
(d) Joint Director, Nursing	-	Third Chain

4. Recruitment.- The appointment in this cadre shall be made by direct recruitment to the basic category posts, on the basis of recommendation of the Commission.

5. Qualifications.- (1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, qualifications shall be pass in M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing (Basic/Post Basic) Course or Diploma in Nursing Education and Administration (D.N.E.A.) course with two years professional work experience, of the period determined by the Indian Nursing Council from time to time from a recognised institution and a certificate related thereto shall be necessary. Registration of candidates from Bihar Nurses Registration Council, Patna shall also be necessary.

(2) For direct recruitment, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as determined reservation categorywise, from time to time, by the Government (General Administration Department):

Provided that, for the purpose of giving opportunity of appointment to the Sister Tutor/Tutor appointed and working on contractual basis in the Government Nursing Schools of Bihar State, having requisite qualification determined under sub-rule (1), the maximum age limit may be relaxed, from time to time.

(3) For the purpose of determining age, 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date.

6. Procedure of Recruitment.- (1) The Appointing Authority, after calculating the vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission by 30th April.

(2) In light of the requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare a merit list on the following basis:-

(a)	For marks obtained in B. Sc. Nursing (Basic/Post Basic) or D.N.E.A. course examination	-	60 Marks
(b)	For M. Sc. Nursing course	-	15 Marks
(c)	For teaching experience as a Sister Tutor/Tutor in Government Nursing School of Bihar state (5 Marks per year, maximum 25 marks)	-	25 Marks

Total - 100 Marks

Explanation:- The marks to be given to a candidate for B.Sc. Nursing (Basic/Post Basic) or D.N.E.A. course shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the aforesaid examination by the multiple of 0.6 . For example, if a candidate has obtained 50% marks, then he will be given $50 \times 0.6 = 30$ marks.

Note- Provided that the desirous Staff Nurse Grade 'A', who were sent for training in Post Basic B.Sc. Nursing course by the State Government before the year 2014, on having passed in the said course, may be promoted to the basic grade post of Tutor of the Bihar Nursing Teaching Cadre as one time measure.

(3) After preparing merit list on the basis of sub-rule (2), reservation categorywise recommendations in accordance with requisitioned vacancies shall be sent by the Commission to the Department. At the level of Department, after scrutiny of certificate etc., verification of antecedents of the recommended candidates shall be caused to be accomplished.

(4) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government (General Administration Department) from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

7. Probation period.- After appointment, the candidates shall remain under probation. The probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in the extended period also, then the appointing authority may terminate the service of such Tutor.

8. Training.- In probation period, the Tutor shall have to successfully complete such training (including treasury training), which may be determined by the Department.

9. Departmental Examination.- The Tutor shall have to pass the departmental examination conducted by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar. The subject, syllabus and procedure of departmental examination shall be determined by the Board of Revenue, Bihar in consultation with the Department.

10. Confirmation.- On service being satisfactory during probation period successful completion of training and passing of the departmental examination, a Tutor may be confirmed in the service.

11. Seniority.- The inter-se seniority of the Tutor shall be determined according to the merit list prepared finally by the Commission.

12. Promotion.- (1) Subject to availability of vacancy, a confirmed Tutor on having obtained a minimum of ten years teaching experience shall be considered for promotion from the post of Tutor to the next chain of posts of Principal and equivalent, on the basis of seniority-cum-merit:

Explanation.- The post of Assistant Director (Nursing) and Registrar shall be equivalent to the post of Principal:

Provided that according to necessity, M.Sc Nursing pass person (with three years teaching experience) or B.Sc Nursing (Basic/ Post Basic) pass person (with five years teaching experience) may be appointed on the post of Principal by direct lateral entry. The procedure of selection for lateral appointment shall be in accordance with the procedure enumerated in rule-6(2). Rule 7, 8, 9 and 10 shall be applicable to the Principal appointed by this procedure.

(2) Deputy Director, Nursing – This post shall be filled up by promotion from amongst the holder of post of Principals and equivalent post on the basis of seniority-cum-merit, subject to availability of vacancy.

(3) Joint Director, Nursing – This post shall be filled up by promotion from amongst the holder of the post of Deputy Director, Nursing, on the basis of seniority-cum-merit, subject to availability of vacancy.

(4) At the time of consideration of promotion to the posts of Deputy Director, Nursing and Joint Director, Nursing, compliance of instructions concerning KALAWADHI, issued by the Government (General Administration Department), from time to time, shall be necessary.

(5) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and Character Roll/PAR, Sealed cover system; etc shall be necessary at the time of consideration of promotion.

(6) Till the post of Assistant Director, Deputy Director and Joint Director of the Nursing Cadre are not filled up by posting/promotion, the posts may be filled up by deputation or appointment on contractual basis for which the honorarium determined by the Government will be payable.

13. Departmental Promotion Committee.- (1) Promotions shall be considerable on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be the same as are constituted by the Government for the Service Departments;

Provided that for consideration of promotion in the maximum grade pay/pay level, the chairman or any Member of the Bihar Public Service Commission shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee.

14. Reservation.- Compliance of provisions of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion issued, from time to time, by the Government shall be compulsory.

15. The personnels appointed/promoted and working before the commencement of these Rules on the posts of this cadre mentioned in appendix of these Rules shall be deemed to be automatically included in this cadre.

16. Residuary Matters.- For the subjects for which provisions have not been made in these Rules, provisions of concerned Code/Rules/Resolutions/Instructions of the state shall apply.

17. Removal of Doubt.- If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect the decision of the Department after consultation with the Law Department, shall be final.

18. Removal of Difficulties.- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department may remove such difficulty, after consultation of the Law Department, by such order which is not in consistent with provisions of these Rules and necessary and appropriate for removal of such difficulty.

19. Repeal and Savings.- (1) The Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014 and Bihar Nursing Teaching Cadre (Amendment) Rules, 2016 is hereby repealed with the coming into effect of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such thing was done or such action was taken.

Appendix

[See rule 2(VII), 3,12,13]

Chain of posts of Bihar Nursing Teaching Cadre

Sl. No.	Category	Name of Post	Direct recruitment or Posting or Promotion	Exucational Qualification/ Experience/ KALAWADHI	Remarks
1.	Basic Category	Tutor	By Direct Recruitment	M. Sc. Nursing or B. Sc. Nursing(Basic/Post Basic) Course or Diploma in Nursing Education and Administration(D.N.E.A.) with two years professional work experience.	
2.	First chain of promotion	Principal and equivalent	By Promotion	A minimum of ten years teaching experience shall be necessary.	According to necessity, M.Sc Nursing pass person (with three years teaching experience) or B.Sc Nursing (Basic/ Post Basic) pass person (with five years teaching experience) may be appointed on the post of Principal by direct lateral entry. The procedure of selection for lateral appointment shall be in accordance with the procedure ennumerated in rule-6(2). Rule 7, 8, 9 and 10 shall be applicable to the Principal appointed by this procedure.
3.	Second chain of promotion	Deputy Director, Nursing	By Promotion	KALAWADHI as determined by the General Administration Department from time to time.	
4.	Third chain of promotion	Joint Director, Nursing	By Promotion	KALAWADHI as determined by the General Administration Department from time to time.	

Note:- The Pay Band, Grade Pay and Pay Level of all the aforesaid categories shall be the same as if may be determined by the Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar,

(Sd) ILLEGIBLE,

Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 715-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>